न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।
जमानत आवेदन सं0–456 / 2026
बिदुपुर थाना कांड सं0–290 / 2023

धारा–302 / 34 IPC & 27 Arms Act.

14.05.2026 दिनांक 17.02.2026 से काराधीन अभियुक्त मुनचुन कुमार की ओर से जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया, इस जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचिका पुतुल कुमारी द्वारा एक टंकित आवेदन थानाध्यक्ष बिदुपुर को इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 15.05.2023 को रात्रि करीब 08:00 बजे मै अपने दरवाजे पर बैठी थी और मेरे साथ मे मेरे भयसुर रवि कुमार, मेरे पति विकास कुमार और परिवार के अन्य सदस्य थे इसी बीच रोहित कुमार, मंगल कुमार उर्फ राजीव कुमार, दामा उर्फ उमॉ उर्फ ओमप्रकाश, अंकित कुमार उर्फ अनिकेत कुमार मेरे दरवाजे पर आये और मेरे पति विकास कुमार को बोले कि बगल मे शादी है चलो भोज खाने और पुराना हिसाब–किताब भी करना है इसके बाद मेरे पति को वेलोग अपने साथ लेकर चले गये। हमने देखा कि रोहित कुमार और मंगल कुमार अपने अपने कमर मे पिस्तौल खोसे हुए था जिसपर हमलोगो को शंका हुआ तो पीछे पीछे मै, भयसुर रवि कुमार, चेचेरा ससुर श्रवेश राय गये। उपरोक्त लोग अर्जुन सिंह के कुआ के पास पहुॅचे और मेरे पति से रोहित कुमार, मंगल कुमार, दामा कुमार, अंकित कुमार बाता–बाती करने लगे और वहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे जिनको देखकर पहचान सकती हूॅ। इसी बीच देखे कि दामा एवं अंकित कुमार एवं पहले से उपस्थित दोनो व्यक्ति सभी मिलकर मेरे पति को पकड़ लिये उसके बाद रोहित कुमार अपने हाथ मे लिए पिस्टल से मेरे पति के सर मे पिस्टल सटाकर गोली मार दिया, मेरे पति जमीन पर गिर गये उसके बाद मंगल कुमार अपने हाथ मे लिए पिस्टल से मेरे पति के शरीर मे गोली मार दिया उसके बाद हमलोग चिल्लाने लगे तो दहशत फैलाने के लिए वे दोनो हवा मे फायरिग करते हुये मेरे पति को छोड़कर वहां से भाग गये। गोली के आवाज सुनकर अगल बगल के लोग पहुॅच गये और मेरे पति विकास कुमार को उठाकर प्राथमिकी स्वास्थ केन्द्र बिदुपुर ले गये, अस्पताल मे डॉक्टर साहेब मेरे पति को मृत घोषित कर दिये। मेरे पति विकास कुमार अभियुक्तो को रूपया दिये थे और उसी रूपया को वापस मांगने पर घटना कारित किया गया था। इस घटना के पूर्व भी रूपया मांगने पर मारने की धमकी देता था।"

Web Copy not Official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–456 / 2026
बिदुपुर थाना कांड सं0–290 / 2023

काराधीन आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन अथवा नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावे औधोगिक क्षेत्र थाना कांड सं0–06 / 2026, बिदुपुर थाना कांड सं0–198 / 2021, बिदुपुर थाना कांड सं0–317 / 21 है। प्रस्तुत वाद मे आवेदक को दिनांक 17.02.2026 को औधोगिक क्षेत्र थाना कांड सं0–06 / 2026 से रिमाण्ड किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है। अभियुक्त दामा के स्वीकारोक्ति बयान पर आवेदक का नाम इस वाद मे आया है। राजनीति दुश्मनी के कारण आवेदक को इस वाद मे फसा दिया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

Web copy not official

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा अन्य सह अभियुक्तो के साथ मिलकर सूचिका के पति की हत्या कर दिया गया। आगे अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। यद्यपि कि आवेदक का नाम सह अपराधी के स्वीकारोक्ति बयान पर मामले मे शामिल किया गया है परंतु पुरक केस डायरी के कंडिका 19, 22 मे आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता की बात साक्षियो ने कही है और घटना के पश्चात् भागते हुए देखने की बात भी कही है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–456 / 2026
बिदुपुर थाना कांड सं0–290 / 2023

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	14-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	14-05-2026
Uploading Date	15-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.